

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—392 / 2003
 संस्थित दिनांक—08.09.2001
 फाईलिंग क.234503000072001

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी
 बिरसा दमोह सामान्य, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

हरेसिंह वल्द झुम्मुक, जाति गोंड, उम्र—45 वर्ष,
 निवासी—ग्राम नाकाटोला, थाना बिरसा,
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—07 / 10 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—9, 49 बी, 39 सहपठित धारा—51 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—01.05.2001 को ग्राम नाकाटोला, थाना बिरसा में आरक्षित कक्ष क्रमांक—1186 में अवैध प्रवेश कर वन्य प्राणी कोटरी का बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे हुए अग्नेय अस्त्र से शिकार कर उसका मांस खाया तथा उसका चमड़ा अपने पास अवैध रूप से रखा।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—01.05.2001 को वन परिक्षेत्र अधिकारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी हरेसिंह अवैध रूप से अपने घर में वन्य प्राणी की ट्रॉफी तथा अवैध बंदूक रखे हुए है। उक्त सूचना के आधार पर उप वनमण्डलाधिकारी बैहर सामान्य से तलाशी वारंट दिनांक—30.04.2000 के आधार पर आरोपी के घर जाकर साक्षियों के समक्ष आरोपी को तलाशी वारंट से अवगत कराया तथा आरोपी के घर की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी हरेसिंह के मकान से एक नग चमड़ा वन्य प्राणी कोटरी का कटा—फटा हुआ,

अग्नेय धातु बारूद लगभग 5 ग्राम, 20 नग बड़े छर्रे, 5 नग छोटे छर्रे, सीसा छड़ दो नग, सीसा की एक प्लेट चपटे आकार की, कैप 20 नग अवैध रूप से रखा होना पाया। आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपने मकान के अंदर से जमीन खोदकर एक भरमार बंदूक बरामद करवाया, उक्त सामग्री को रखने का लायसेंस होने के बारे में पूछे जाने पर आरोपी ने लायसेंस नहीं होना बताया। आरोपी ने साक्षियों के समक्ष वन्य प्राणी कोटरी को मारना स्वीकार किया तथा उक्त घटनास्थल बताया। आरोपी द्वारा कक्ष क्रमांक-1186 में शिकार करना बताया था। वन परिक्षेत्र अधिकारी बिरसा दमोह सामान्य द्वारा आरोपी हरेसिंह के विरुद्ध पी.ओ.आर.क्रमांक-11106/08, धारा-9, 49(1) बी 39 एवं सहपठित धारा-51, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपी तथा साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-9, 49(1) बी, 39 सहपठित धारा-51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र. सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-01.05.2001 को ग्राम नाकाटोला, थाना बिरसा में आरक्षित कक्ष क्रमांक-1186 में अवैध प्रवेश कर वन्य प्राणी कोटरी का बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखे हुए अग्नेय अस्त्र से शिकार कर उसका मांस खाया तथा उसका चमड़ा अपने पास अवैध रूप से रखा ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5- परिक्षेत्र सहायक लेखराम (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-30.04.2000 को बिरसा दमोह परिक्षेत्र में सहायक परिक्षेत्र के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अपने घर में अवैध चमड़ा व बंदूक रखे हुए है, तब वे लोग उप वनमण्डलाधिकारी बैहर से सर्च वारंट लेकर मय स्टॉफ के आरोपी के यहां गए थे। आरोपी को सर्च वारंट तामील कराने के

पश्चात् उसके घर की तलाशी लेने पर एक कोटरी का चमड़ा, एक भरमार बंदूक, शीशे के छर्रे व छड़, 20 नग केप, 5 ग्राम बारूद मिला था, जिसे साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्तीनामा प्रदर्श पी-1 बनाया, जिस पर उसके व आरोपी के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-2 जारी किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपना स्वयं का लिखित बयान परिक्षेत्र अधिकारी को दिया था।

6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने वन्य प्राणी के अंगों की पहचान के संबंध में अलग से कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। साक्षी के द्वारा मामलों में आरोपी से की गई, जप्ती कार्यवाही प्रदर्श पी-1 के अनुसार कोटरी का चमड़ा, भरमार बंदूक व बारूद जप्त करने का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

7— प्रकाश (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। उसके सामने आरोपी हरेसिंह से दो-तीन वर्ष पूर्व आरोपी के मकान माताटोला से कोटरी का एक चमड़ा, एक बंदूक, छर्रे, बारूद, शीशा, जप्त किये थे। वह वन विभाग के श्री एल.आर. पटले को जानता है। उक्त जप्ती की कार्यवाही श्री एल. आर. पटले द्वारा की गई थी। जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 उसके सामने बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी हरेसिंह से श्री पटले द्वारा बंदूक के लायसेंस के संबंध में पूछताछ करने पर उसके पास बंदूक का लायसेंस नहीं होना पाया था। कोटरी के चमड़े के संबंध में आरोपी ने बताया था कि वह जंगल से लेकर आया है। श्री पटले द्वारा पंचनामा प्रदर्श पी-3 तलाशी के समय बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पटले साहब ने पंचनामा प्रदर्श पी-4 मौके पर बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसमें उसने बिना लायसेंस के बंदूक रखना एवं कोटरी का शिकार करना स्वीकार किया था। श्री पटले द्वारा तलाशी के बाद का पंचनामा प्रदर्श पी-5 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। श्री पटले द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह श्री वासनिक रेंजर को जानता है। श्री वासनिक उनके साथ कार्यवाही के दौरान उपस्थित थे। लिखापट्टी श्री पटले एवं श्री वासनिक दोनों कर रहे थे।

8— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी से जप्त चमड़ा कोटरी का नहीं, बल्कि बकरी का है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।

9— रूपराम मेश्राम (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वे लोग आरोपी के घर गए थे। उसके अलावा वनपाल पटले, मोहम्मद जमा कुरैशी वनरक्षक, चौकी रमेश गाढ़ेश्वर वन विभाग के अन्य कर्मचारी गए थे। आरोपी ने जहां पर जंगली कोटरी का शिकार किया था, वह स्थान बताया था। उक्त स्थान शासकीय वन कक्ष क्रमांक-1186 था। घटनास्थल का नक्शापंचायतनामा बनाया था, जो प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10— रमेश कुमार (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वर्ष 2001 में बिरसा में परिक्षेत्र में सुरक्षा श्रमिक के पद पर पदस्थ था। घटना के समय वह वन परिक्षेत्र अधिकारी व अन्य लोगों के साथ ग्राम नाकाटोला गया था। जहां पर सर्च वारंट से आरोपी हरेसिंग के मकान की तलाशी लिया था। आरोपी के मकान से एक भरमार बंदूक, एक कोटरी का चमड़ा, बारूद छर्रे, केप आदि मिले थे, जिसे जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पी.ओ. आर. की कार्यवाही की गई थी तथा आरोपी हरेसिंह का बयान लिया गया था, जिसमें आरोपी हरेसिंह ने अपना अपराध स्वीकार किया था। आरोपी का बयान प्रदर्श पी-8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।

11— सेवाराम पटले (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-30.04.2001 को अनुविभागीय अधिकारी के पद पर उपवन मंडलाधिकारी बैहर सामान्य के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा आरोपी हरेसिंह के विरुद्ध सर्च वारंट जारी किया गया था। उक्त सर्च वारंट उसके द्वारा वनपाल एल.आर. पटले को दिया गया था, जो प्रकरण में संलग्न है और प्रदर्श पी-9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करने के पूर्व जारी सर्च वारंट को प्रमाणित किया है।

12— परिवादी एल.के. वासनिक (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह घटना के समय वन परिक्षेत्र अधिकारी बिरसा दमोह सामान्य के पद पर पदस्थ था। उसे दिनांक-20.04.2001 को स्टॉफ के लोगों ने बताया कि आरोपी के यहां वन्य प्राणी के ट्रॉफी व अवैध बंदूक रखी है, तब उसने उपवन मण्डलाधिकारी बैहर, सामान्य के सर्च वारंट प्राप्त कर आरोपी के घर मय स्टॉफ वनपाल एस. एल. लिल्हारे, एल.आर.

पटले, रूपलाल मेश्राम, वनरक्षक ए.आर. चौरे, एम.एन. चौरे के साथ आरोपी के घर जाकर आरोपी के घर की तलाशी ली थी। आरोपी के मकान से एक कोटरी का चमड़ा, भरमार बंदूक व उसमें प्रयोग किये जाने वाले छर्रे व बारूद आदि मिलने पर आरोपी ने अनुज्ञप्ति न होना बताया था। उसके समक्ष एल.आर. पटले द्वारा उक्त सामान जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने तलाशी के प्रारंभ का पंचनामा प्रदर्श पी-3 एवं तलाशी के बाद का पंचनामा प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसके समक्ष आरोपी हरेसिंह का मो. जमा कुरैशी के द्वारा बयान प्रदर्श पी-8 लेख किया गया था, जिसमें आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया था। उक्त बयान पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष जमा कुरैशी द्वारा घटनास्थल, जहां आरोपी ने कोटरी का शिकार किया था, का नक्शा प्रदर्श पी-10 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध परिवाद पेश किया गया था। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

14— मो. जमा कुरैशी (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने दिनांक-01.05.2001 को बिरसा रेंज में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसके सामने घटना के समय आरोपी से एक भरमार बंदूक, एक कोटरी का चमड़ा जप्त किया गया था। उसने आरोपी के बताए जाने पर घटनास्थल का पंचनामा प्रदर्श पी-7 साक्षियों के समक्ष तैयार किया था। उसने साक्षी रमेश के बयान प्रदर्श पी-11 एवं साक्षी प्रकाश का बयान प्रदर्श पी-12 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।

15— कुंवरसिंह (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी हरेसिंह को जानता है। उसके सामने वन विभाग वाले ने आरोपी के घर की कोई तलाशी नहीं लिया था न ही पंचनामा बनाया था। पंचनामा प्रदर्श पी-3, 4, 5 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि वन विभाग वालों ने उसके सामने आरोपी के घर की तलाशी लेकर उसके कब्जे से भरमार बंदूक, कोटरी का चमड़ा आदि जप्त किया था। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार साक्षी दुर्जन (अ.सा.8), हेमेन्द्र (अ.सा.10), हरेसिंह (अ.सा.12) एवं लखनलाल (अ.सा.13), प्रेमनारायण

(अ.सा.14) ने भी अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है।

16— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के पूर्व सर्च वारंट प्रदर्श पी-9 को जारीकर्ता अधिकारी उप-वनमण्डलाधिकारी सेवाराम पटले (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में प्रमाणित किया है। उक्त सर्च वारंट के पश्चात् घटना दिनांक-30.04.2000 को विवेचना अधिकारी लेखराम (अ.सा.1) के द्वारा आरोपी के घर की तलाशी लेने पर उसके घर से एक कोटरी का चमड़ा व भरमार बंदूक बारूद सहित जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 बनाया जाना और आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर प्रदर्श पी-2 दर्ज किया जाना बताया गया है। उक्त साक्षी की जप्ती कार्यवाही का समर्थन साक्षी प्रकाश (अ.सा.2), रमेश (अ.सा.5), एल.के. वासनिक (अ.सा.7), राजाराम (अ.सा.9) व मो. जमा कुरैशी (अ.सा.11) ने अपनी साक्ष्य में किया है। इस प्रकार मामलों में आरोपी से एक कोटरी का चमड़ा व भरमार बंदूक बारूद सहित जप्त प्रमाणित होता है।

17— आरोपी को जप्तशुदा वन्य प्राणी कोटरी के शिकार किये जाने के संबंध में कोई चक्षुदर्शी साक्षी अभियोजन ने पेश नहीं किया है। अभियोजन के अनुसार आरोपी हरेसिंह ने अपने बयान प्रदर्श पी-8 में उक्त जप्तशुदा वन्य प्राणी कोटरी का चमड़ा उक्त कोटरी को जंगल में मारकर प्राप्त करना बताया है। वन्य प्राणी कोटरी का अवैध शिकार किये जाने के संबंध में आरोपी हरेसिंह की स्वीकारोक्ति वाले कथन प्रदर्श पी-8 को एल.के. वासनिक (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में मो. जमा कुरैशी द्वारा लेख कर उस पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। आरोपी की उक्त स्वीकारोक्ति का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई चुनौती दी गई है कि उक्त स्वीकारोक्ति किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के द्वारा कराई गई है।

18— आरोपी के द्वारा की गई उक्त अपराध की संस्वीकृति स्वेच्छया से की जाना प्रकट होती है। मामलों की परिस्थिति से यह अनुमान नहीं निकाला जा सकता कि उक्त संस्वीकृति किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है। इस प्रकार जप्ती कार्यवाही, पंचनामा एवं अन्य साक्षीगण के बयान एवं परिवाद के अनुरूप न्यायालयीन कथन से अभियोजन मामलों में संदेह किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

19— आरोपी की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि मामले में जप्तशुदा चमड़ा का विधिवत् परीक्षण नहीं कराया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जप्ती एवं विवेचना की कार्यवाही स्वयं वन अधिकारी के समक्ष वनपाल के द्वारा

निष्पादित की गई है तथा सभी ने अपनी साक्ष्य में एकमत में वन्य प्राणी कोटरी के चमड़े की बरामदगी आरोपी के घर से किया जाना प्रकट किया है। इस प्रकार वन अधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षक की पहचान व शिनाख्ती से वन्य प्राणी के चमड़े के परीक्षण हेतु विशेषज्ञ साक्षी की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **भोलाराम विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2014(5) एम.पी.एच.टी. 279** में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वन अधिकारी की मौखिक साक्ष्य कि जप्त सामग्री वन्य सामग्री है, पर्याप्त होती है।

20— प्रकरण में प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य एवं आरोपी की संस्वीकृति से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आरोपी ने बिना अनुज्ञा के वन्य प्राणी कोटरी का चमड़ा अवैध रूप से अपने आधिपत्य रखा था, किन्तु आरोपी के द्वारा उक्त वन्य प्राणी कोटरी का शिकार करते हुए किसी साक्षी के द्वारा देखे जाने या शिकार करने का प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश न होने से मात्र संस्वीकृति से यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि आरोपी के द्वारा वन्य प्राणी कोटरी का शिकार किया गया था।

21— वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-57 के अंतर्गत जहां इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध के अभियोजन में यह सिद्ध हो जाता है कि वह व्यक्ति किसी बंदी पशु, पशु वस्तु, मांस को अपने कब्जे में रखा है, तब जब तक अन्यथा सिद्ध नहीं हो जाता, जिसको सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होगा, यह अनुमान किया जाएगा कि उक्त व्यक्ति बंदी पशु, पशु वस्तु, मांस को अपने अवैधानिक कब्जे में रखा है। इस मामले में आरोपी के घर से वन्य प्राणी कोटरी का चमड़ा जप्त होना प्रमाणित है। इस कारण यह उपधारणा की जा सकती है कि आरोपी के पास वन्य प्राणी कोटरी का चमड़ा अवैध रूप से आधिपत्य में एवं अभिरक्षा में पाया गया है।

22— वन्य प्राणी कोटरी को अधिनियम 1972 की अनुसूची-3 में दर्शित किया गया है। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा अधिनियम की धारा-51 के परंतुक के अंतर्गत अनुसूची-1 या 2 के भाग-2 में विनिर्दिष्ट किसी पशु के मांस के संबंध में अपराध कारित किया जाना प्रकट नहीं होने से या राष्ट्रीय उद्यान में शिकार या सीमा परिवर्तन से संबंधित अपराध न होने से मामलों में उक्त परंतुक आकर्षित नहीं होता है।

23— उक्त सभी कारण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोपी के द्वारा वन्य प्राणी कोटरी का शिकार करने एवं उक्त वन्य प्राणी के ट्रॉफी के व्यवसाय किये जाने के संबंध में साक्ष्य का अभाव है, इस कारण अधिनियम की धारा-9, 49 बी का अपराध किया जाना प्रकट नहीं होता है। आरोपी ने वन्य प्राणी कोटरी, जो अनुसूची-3 का वन्य प्राणी है, के चमड़ा को शासकीय संपत्ति होने से मुख्य वन प्राणी अभिरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बिना अपने आधिपत्य में रखकर अधिनियम की धारा-39 का उल्लंघन किया। अतः आरोपी को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-51 सहपठित धारा-39 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

24— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

पश्चात्—

25— आरोपी व उसके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उक्त आरोपी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रकरण में वह वर्ष 2001 से विचारण का सामना कर रहा है, तथा उसके विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी नहीं है। अतः उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर छोड़ा जावे।

26— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। आरोपी के द्वारा वर्ष 2001 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा उससे मात्र अनुसूची 3 के वन्य प्राणी कोटरी का चमड़ा जप्त है। अतएव उक्त संपूर्ण तथ्य व परिस्थिति को देखते हुए आरोपी को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा-51 सहपठित धारा-39 के अंतर्गत 3 माह का साधारण कारावास एवं 1,000/-रूपये (एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। आरोपी के द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में उसे एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

27— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

28— मामले में आरोपी दिनांक—02.05.2001 से दिनांक—15.05.2001 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। उक्त अभिरक्षा की अवधि मूल कारावास में समायोजित किये जाने के संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण—पत्र तैयार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट